न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 24/2016 RCMS No.—2016/00032

रामशंकर शर्मा पुत्र श्री स्व. भौरी लाल जी उम्र करीब 65 साल, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
..निगरानीकर्ता

बनाम

1. शिवकुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री भौरीलाल शर्मा उम्र करीब 50 साल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत भानपुर कलां, जरिये तत्कालीन सरपंच श्री रामसहाय कांकरेलिया, भूतपूर्व सरपंच, कांकरेलियो की ढाणी, भानपुर कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

............विपक्षीगण

पुनर्निरीक्षण याचिका विरूद्व निर्णय व आदेश पट्टा दिनांक 27.01.1998 ग्राम पंचायत भानपुर कलां तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर अधीन पत्रावली दायरी दिनांक 05.01.1997 पट्टा संख्या 20 जिसके द्वारा प्रार्थी के पूर्वजो की भूमि का 528 वर्गगज का पट्टा जारी किया।

उपस्थितः—

1. श्री राकेश शेखावत अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री हनुमान शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 11.12.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत भानपुर कलां, पंचायत समिति, जमवारामगढ के निर्णय/आदेश दिनांक 20.10.2004 संकल्प संख्या 4 जिससे ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा शिवकुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री भौरीलाल शर्मा जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम भानपुर कलां तहसील जमवारामगढ के पक्ष में पट्टा संख्या 20 क्षेत्रफल 528 वर्गगज जारी करने का निर्णय लिये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या— एक की ओर से श्री हनुमान शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या—2 ग्राम पंचायत भानपुर कलां की की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। मिसल अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भानपुर कलां का आदेश विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत भानपुर कलां के दिनांक 05.01.1997 को एक प्रार्थना पत्र स्वयं के पास

बुजुर्गो के समय से बने मकान का पट्टा दिये जाने बाबत पेश किया। जिस पर ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। गैर निगरानीकार संख्या 1 ने तत्कालीन सरपंच से साज कर तीन पंचो की गलत रिपोर्ट दिनांक 20.01.1997 को बिना किसी कार्यवाही के पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें तीन पंचो द्वारा खाली जमीन के दो नक्शे बनाकर पंचायत में प्रस्तुत कर दिये जिसमें आवेदन में वर्णित मकान का कतई अंकन नहीं किया। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में 528 वर्गगज जमीन का पट्टा दिनांक 20.10.2004 को जारी कर दिया जो विधि विरूद्व है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 145 के अधीन कोई आबादी भूमि खरीदने का इच्छुक व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन उक्त भूमि का ऐसा विवरण देता हुआ करेगा जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो। प्रस्तुत प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में क्रय किये जाने वाली भूमि के बाबत कोई विशिष्टी का अंकन नहीं है। राज. पंचायती राज अधिनियम के तहत 100 वर्गगज से अधिक की भूमि का विक्रय केवल नीलामी की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। विचाराधीन प्रकरण में नीलामी की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। पंचायती राज नियमो के अनुसार पट्टे पर सरपंच एवंसचिव दोनो के हस्ताक्षर होने चाहिए लेकिन निगरानीधीन पटटे पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायती राज अधिनियम की धारा 143, 152, 154 की पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त पंचगणो द्वारा बिना मौका निरीक्षण किये ही मौका रिपोर्ट बनायी गयी जो ग्राम पंचायत की बदनियति का उदाहरण है। ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा पंचायती राज नियमो के विरूद्व जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी किया है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 के हक में पट्टा संख्या 20 दिये जाने का निर्णय दिनांक 20.10.2004 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक द्वारा कथन किया कि ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने पूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट वार्ड पंच महोदय से मंगवाकर निरीक्षण कर व सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार दिनांक 13.02.1997 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत में किसी व्यक्ति की आपत्ति नहीं आने के पश्चात एवं पत्रावली लम्बित रहने पर गैर निगरानीकार संख्या एक से दिनांक 05.10.2004 को नजराना राशि जमा करवाने बाबत नोटिस दिया गया। दिनांक 20.10.2004 को नजराना राशि 1056 रूपये जमा करवाने के पश्चात सर्वसहमति से गैर निगरानकार संख्या 1 के हक में पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा गैर निगरानीकार के आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए विवादित भूमि के निरीक्षण के लिए मौका कमेटी गठित की जिसके कम में दिनांक 20.01.1997 को मौका देखा गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 13.02.1997 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया। ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा दिनांक 20.08.2004 व 05.10.2004 को गैर निगरानीकार संख्या 1 को निगरानीधीन पट्टा पत्रावली ग्राम पंचायत में लम्बित रहने पर निस्तारण हेतु नजराना राशि जमा करवाने का नोटिस दिया। तद्नुसार नजराना राशि जमा कराये जाने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के पट्टा विलेख संख्या 20 गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 145 के अनुसार आबादी भूमि को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति पंचायत को दिये गये लिखित आवेदन पत्र में कय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान का विवरण होना चाहिए। प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा दिये आवेदन पत्र में कय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान संबंधी कोई विवरण नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 167(2) अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए परन्तु निगरानीधीन पट्टे पर सचिव ग्राम पंचायत भानपुर कलां के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत भानपुर कलां द्वारा निगरानीधीन पट्टा दिये जाने में पंचायती राज अधिनियम एवं नियमो की पालना किया जाना जाहिर नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भानपुर कलां पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा जारी संकल्प सं.4 आदेश दिनांक 20.10.2004 गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 20 निरस्त किया जाता है। पत्रावली ग्राम पंचायत, भानपुर कलां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के तहत मौके का निरीक्षण कराया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली लौटायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.01.06 12:23:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: